

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 280] No. 280] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 22, 2016/वैशाख 2, 1938 NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 22, 2016/VAISAKHA 2, 1938

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(दूर संचार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 2016

- सा.का.नि. 436(अ)--केंद्रीय सरकार, भारतीय बेतार तारयांत्रिकी अधिनियम, 1933 (1933 का 17) की धारा 10 की उपधारा (2) के खंड (v) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-
- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सभी मोबाइल फोन हैंडसेट में संत्रास बटन और वैश्विक स्थिति प्रणाली सुविधा नियम, 2016 है।
- (2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. परिभाषाएं.—इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों,--
 - (क) "फीचर फोन" से ऐसा फोन हैंडसेट अभिप्रेत है, जिसमें इंटरनेट तक पहुंच की क्षमता और संगीत भंडारण और बजाने की क्षमता जैसी विशेषता समाविष्ट हैं किंतु जिसमें किसी वैयक्तिक कंप्यूटर की प्रचालन प्रणाली की विशेषता नहीं है;
 - (ख) "जीपीएस" से वैश्विक स्थिति प्रणाली अभिप्रेत है, जिसमें उपग्रह आधारित दिक्चालन प्रणाली अंतर्विष्ट है, जो सभी मौसमी स्थितियों में पृथ्वी पर किसी स्थान पर या उसके नजदीक अवस्थिति और समय की वहां सूचना उपलब्ध कराती है जहां चार या अधिक वैश्विक स्थिति प्रणाली उपग्रहों की दृष्टि की अबाधित सीधी रेखा है;

1925 GI/2016 (1)

- (ग) " माट फोन" से उ नत चालन णाली के साथ मोबाइल फोन हडसेट अभि ेत है, जिसम वैयितक कं यूटर चालन णाली के साथ मोबाइल या ह त धारित उपयोग के लिए उपयोगी अ य विशेषताएं ह ।
- **3. नए मोबाइल हैंडसेटों में संास बटन**.—1 जनवरी, 2017 से कोई मोबाइल फोन हडसेट विनिमा ा कंपन्ति भारत म विक्रय नह करेगी,--
 - (क) ऐसे फ चर फोन का, जिनम "अंक य कुंजी-5" या "अंक य कुंजी-9" को दबाने पर आपातकालीन काल को ारंभ करने के लिए संास बटन क सुविधा नह है; और
 - (ख) ऐसे माट फोन का, जिनम आपातकालीन काल को आरंभ करने के लिए दीघ समय तक उह बटन को दबाने पर या विद्यमान पावर ऑन या ऑफ बटन को, जब त्वरित अनुक्रम म उह तीन बार लघु अवधि के लिए दबाने पर आपातकालीन काल क सुविधा नह है।
- 4. नए मोबाइल हैंडसेटों में जीपीएस.—1 जनवरी, 2018 से कोई मोबाइल फोन हडसेट विनिमा ा कंपनी भारत म नए मोबाइल फोन हडसेट का विक्रय उपग्रह आधारित जीपीएस के माध्यम से अविधित क पहचान क सुविधा के बिना नह करेगी।

[फा. सं. 16-04/2015-एएस-III]

पी. के. मित्तल, उप महानिदेशक (एएस-I)

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(Department of Telecommunications)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd April, 2016

- **G.S.R.** 436(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (v) of sub-section (2) of section 10 of the Indian Wireless Telegraphy Act, 1933 (17 of 1933), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-
 - **1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the panic button and Global Positioning System facility in all mobile phone handsets Rules, 2016.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
 - **2. Definition.-**In these rules, unless the contexts otherwise requires,-
 - (a) "Feature phone" means a mobile phone handset that incorporates features such as the ability to access internet and store and play music but lacks the operating system feature of a personal computer;
 - (b) "GPS" means the Global Positioning System which contains a satellite-based navigation system that provides location and the time information in all weather conditions, anywhere on or near the earth where there is an unobstructed line of sight to four or more Global Positioning System satellites.
 - (c) "Smart phone" means a mobile phone handset with an advanced mobile operating system, which combines features of a personal computer operating system with other features useful for mobile or hand held use;
 - **3. Panic button in new mobile handset.-** With effect from the 1st January, 2017, no mobile phone handset manufactured company shall sell in India,-
 - (a) the Feature phones without the facility of panic button by pressing "Numeric key -5" or "Numeric key -9" to invoke emergency call; and
 - (b) the Smart phones without the facility of emergency call button by pressing the same for long time to invoke emergency call or the use of existing power on or off button, when short pressed thrice in quick succession.

4. **GPS in new mobile hand set.-** With effect from the 1st January, 2018, no mobile phone handset manufactured company shall sell the new mobile phone hand set in India without the facility of identifying the location through Satellite based GPS.

[F. No. 16-04/2015-AS-III]

P. K. MITTAL, Dy. Director General (AS-I)